प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्व० 1021/सत्तर–6–2014–2(868)/2014 दिनांक: 25 जून, 2014 द्वारा अनु सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्व०/2002/2014 दिनांक: 30.05.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय, नगरा, नीमगांव, बेहजम, लखीमपुर–खीरी को स्नातक स्तर पर कला संकाय में हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृत एवं शिक्षाशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों यथा–याचित पाठ्यक्रम में प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदित नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा–37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष से छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी०एस०जे०एम०वि०वि०/सम्व०/6053/2014 दिनांक 1/10/2014

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय, नगरा, नीमगांव, बेहजम, लखीमपुर–खीरी को उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुसार सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित है। रिट याचिका संख्या–61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत वर्णित विषयों में 07 (सात) सेक्शन (60 छात्र प्रति सेक्शन) कुल 420 सीट्स निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी जाती है।
2. उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
3. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
4. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला–खीरी

सम्बद्धता आदेश संख्या–सी०एस०जे०एम०वि०वि०/कुसका०/सम्ब०/4337/2018 दिनांकः 30.05.2018 द्वारा कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांकः 30.05.2018) से कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय, नगरा, नीमगॉव, बेहजम, लखीमपुर–खीरी को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सत्र 2018–19 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

1. शैक्षिक सत्र 2017–18 के परीक्षाफल के अभाव में सत्र 2018–19 हेतु सम्बद्धता आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि संदर्भित पाठ्यक्रम/विषयों का सत्र 2017–18 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुरूप (60 प्रतिशत उत्तीर्ण) होने की स्थिति में सत्र 2018–19 से सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जायेंगे।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी। पाठ्यक्रम में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत तत्सम्बन्धी दिशा निर्देशों के अधीन किया जाएगा।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./5957/2018 दिनांकः 18/09/2018

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय, नगरा, नीमगॉव, बेहजम, लखीमपुर–खीरी को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित विषयों का सत्र 2017–18 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो 60 प्रतिशत से अधिक रहा है। अतः आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृत विषयों में दिनांकः 01.07.2018 से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान की जाती है।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।

(डॉ० विनोद कुमार सिंह)
कुल सचिव

प्राचार्य
कमलापति [illegible] महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड [illegible] जिला–खीरी

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007

संदर्भ संख्या : R/504-/सम्बद्धता अनु./2022

दिनांक : 13.04.22

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय,
नगरा बेहजम, लखीमपुर खीरी।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम** की अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत बी0एस–सी0 **पाठ्यक्रम** की **अस्थायी सहयुक्तता** हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुति एवं महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनांक **12.04.2022** के मद संख्या : **34(52)** द्वारा **बी0एस–सी0.** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) **पाठ्यक्रम** में सत्र 2022–23 से **तीन वर्षों हेतु अस्थायी सहयुक्तता** अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

1. **मानकानुसार संदर्भित पाठ्यक्रम में विहित प्रकियानुसार शिक्षकों का अनुमोदन कराकर प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रवेश लिया जायेगा। प्रवेश की अनुमति के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षायें नहीं करायी जायेंगी जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।**
2. समय–समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
3. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
4. महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में अपलोड किया जायेगा।
5. महाविद्यालय द्वारा छात्र/शिक्षकों का अनुपात बनाये रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. गार्ड फाईल।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ।

कुलसचिव

प्राचार्य
कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बहजम जिला–खीरी

कुलसचिव कार्यालय

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007

(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : R/420 / सम्ब.अनु. / 2025

दिनांक : 16/05/2025

रजिस्टर्ड / स्पीडपोस्ट / व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन महाविद्यालय,
लखीमपुर खीरी।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित **बी0एस–सी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित) पाठ्यक्रम की स्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 15.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित उक्त पाठ्यक्रम की **स्थायी सहयुक्तता** हेतु हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुति एवं महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य तथा मा0 कार्य परिषद की बैठक दिनांक दिनांक **08.05.2025** के विनिश्चय संख्या : 2025 / 02 / 01(102) द्वारा **बी0एस–सी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित) पाठ्यक्रम में सत्र 2025–26 **से स्थायी सहयुक्तता** अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

1. समय–समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
2. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
3. महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण अपलोड किया जायेगा।
4. संस्थान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन / विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(विद्या नन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. गार्ड फाईल।

प्राचार्य
कमलापति गुरूप्रसाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बहजम जिला–खीरी

कुलसचिव

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : 2/536 /सम्ब.अनु./2024

दिनांक : 13/7/2024

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
कमलापति गुरू गार्जन गर्ल्स डिग्री कालेज,
खीरी।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **बी0ए0 अति.विषय** (चित्रकला एवं राजनीति विज्ञान) **पाठ्यक्रम** की सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक प्रस्तुत निरीक्षण आख्या दिनांक **02.06.2024** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रस्तावित **उक्त पाठ्यक्रम** की **अस्थायी सहयुक्तता** हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुति एवं महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनांक **09.07.2024** के विनिश्चय संख्या : **02/2024/01(32)** द्वारा **बी0ए0 अति.वि.** (चित्रकला एवं राजनीति विज्ञान) **पाठ्यक्रम** में सत्र 2024–25 **से तीन वर्षों हेतु अस्थायी सहयुक्तता** अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

1. **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सहयुक्तता शुल्क** (पाठ्यक्रम हेतु रू0 एक लाख एवं अतिरिक्त विषय हेतु रू0 पचास हजार + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0की धनराशि सहित) **विश्वविद्यालय के खाते में ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद की प्रति प्रवेश की अनुमति से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी अन्यथा की स्थिति में प्रदान की सहयुक्तता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**
2. **मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रवेश की अनुमति के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षायें नहीं करायी जायेंगी जिसके महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।**
3. समय–समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
5. महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण अपलोड किया जायेगा।
6. संस्थान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

प्राचार्य
कमलापति गुरू गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय
ग्राम नगरिया [illegible] जिला–खीरी

कुलसचिव

कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ–226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : AF-0867 /सम्ब.अनु./2025

दिनांक : 14/05/25

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय,
नगरा, बेहजम, खीरी।

महोदय,

कृपया महाविद्यालय में सहशिक्षा की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या दिनांक 10.11.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित महाविद्यालय में सहशिक्षा की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद **की बैठक दिनांक 10.03.2025 के विनिश्चय अन्य मद संख्या : 2025/01/01(06)** द्वारा कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय, नगरा, बेहजम, **खीरी** में **सहशिक्षा** एवं महाविद्यालय का नाम **कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन गर्ल्स महाविद्यालय, नगरा, बेहजम, खीरी** के स्थान पर **कमलापति गुरू प्रसाद गार्जन महाविद्यालय, नगरा, बेहजम, खीरी** करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

भवदीय,

10.5.2025

(विद्या नन्द त्रिपाठी)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय, ल0वि0वि0।
2. इंचार्ज, वेबसाईट/यू0डी0आर0, ल0वि0वि0।
3. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

प्राचार्य
कमलापति गुरुप्रासाद गार्जन महाविद्यालय
ग्राम नगरा, विकास खण्ड बेहजम जिला–खीरी